

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

प्रकरण सं०/७२/१८/अपील

नाथूलाल आ० भंवरलाल जाति लुहार निवासी मोहम्मदपुर तहसील खानपुर

बनाम

परमानन्द आ० कंवरलाल जाति लुहार निवासी मोहम्मदपुर तहसील खानपुर वगैरह

दिनांक हुक्म	कार्यवाही
27.12.19	<p>पत्रावली पेश हुई, चर्कील उभय पक्ष उपस्थित, वकील अपीलान्ट द्वारा प्रा०पत्र पेश किया गया जिसमें अनुरोध किया गया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में रेस्प० नं० २ ने एक नियमित राजस्व वाद सं० ७६७/१८ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें अपीलान्ट द्वारा भी जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर किया है विवादित बिन्दुओं का विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर के द्वारा किया जा रहा है—इसलिये अपीलान्ट अपनी अपील में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है—अपील विद्वा करता हैं। हमने पत्रावली व प्रा०पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मन्न किया गया—अपीलान्ट प्रकरण को विद्वा करना चाहता है। वकील रेस्प०डेन्ट ने भी अपील को विद्वा करने में कोई आपत्ति नहीं की। अतः प्रार्थना पत्र अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर अपील में इसी स्तर पर कार्यवाही बन्द की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय आज खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया ।</p>

